JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

बाल तस्करी : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन –(आगरा जनपद के विशेष सन्दर्भ में)

प्रदीप कुमार शर्मा
शोधार्थीः– पीएच0डी0 (समाजशास्त्र)
बी०एस०ए० कॉलेज, मथुरा
डॉ.भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

डॉ० मुकेश चन्द
प्रोफेसर (समाजशास्त्र), बी०एस०ए० कॉलेज, मथुरा

सारांश

इस अध्ययन का उद्वेश्य सम्बन्धित शोध अन्तराल को पूरा करना था। शोध बाल तस्करी के बारे में जागरूकता के स्तर को समझने की कोशिश करना, बाल तस्करी का अर्थ, बाल तस्करी की पहचान से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों को समास्ज्शास्त्री परिपेक्ष्य से तलाशना था। इस अध्ययन में वैज्ञानिक तरीके से गुणात्मक/मात्रात्मक देखने का प्रयास किया गया हैं। इससे बाल तस्करी के साथ–साथ जुड़ी सबसे बड़ी चुनौतिया– बच्चों में शिक्षा का अभाव, परिवार के द्वारा बच्चों पर ध्यान न देना, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति ठीक न होना, जागरूकता की कमी, शिक्षा की कमी, बच्चों से खुलकर मा–बाप द्वारा खुलकर बात न करना। जब मैं आगरा जनपद के 42 थानों मे से 12 थानों का अध्ययन में 200 बच्चों का जो बहला फुसलाकर झासे में आये और तस्करी का षिकार हुये उनसे व्यक्तिगत रूप में जाकर जानकारी एकत्रित की, मैनें अपने अध्ययन बाल तस्करी के रिर्पोटेड केसेस धारा 363,366 के संदर्भ में मैनें थाने से डाटा प्राप्त कर जब मैं अपने अध्ययन कार्य के लिए गया और अध्ययन क्षेत्र के दौरान वहां जो मैने प्रेक्षण किया

बीजकोश :– यौन शोषण, बाल तस्करी, सामाजिक समस्या न्यायिक संरक्षण, बाल संरक्षण

प्रस्तावना:-

बाल तस्करी– एक परिचय :– बाल तस्करी शोषण के उद्देश्य से बच्चो की भर्ती परिवहन स्थानांतरण आश्रय या प्राप्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, बाल तस्करी 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को प्राप्त करने या स्थानांतरण करने की अवैध गतिविधि है, अपराधी बच्चों के साथ छल करने के लिए हर दिन नए तरीके अपनाते हैं और उन्हें कहीं दूर दराज में ले जाकर एक निश्चित राशि के लिए बेच देते हैं, या फिर उन्हें ईंट, भट्टों में श्रम, सेक्स और अन्य अवैध कार्य कराने के लिए मजबूर करते हैं, बाल तस्करी के विभिन्न रूपों में बाल श्रम जल्द विवाह यौन शोषण भीख मांगना शामिल है, उन्हें अपराधियों द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जाता है। बाल तस्करी से शिकार बच्चों का लगातार यौन शोषण किया जाता है और वे पारिवारिक वातावरण और सामाजिक प्रेम से वंचित असुरक्षित और मनचाही परिस्थितियों में रहते हैं, बच्चों को अवैध रूप से काम पर रखने या बेचने के लिए आश्रय देने की क्रिया बाल तस्करी है, बच्चों का अपहरण करके उनसे बंधुआ मजदूरी के रूप में काम कराया जाता है और पीड़ित को ड्रग्स और हथियार के काम में इस्तेमाल किया जाता है बड़ी संख्या में बच्चे जबरन श्रम भी मांगना और यौन शोषण के शिकार हो रहे हैं

बाल तस्करी के विभिन्न चरण :– भर्ती विभिन्न तरीकों से होती है यदि कोई बच्चा अपने परिवार की खराब आर्थिक स्थिति का समर्थन करता है तो यह उसकी इच्छा अनुसार हो सकता है इसमें बच्चे को अपनाया सीधी भर्ती करने के लिए भेज दिया जाता है आवागमन परिवहन के विभिन्न तरीकों के माध्यम से स्थानीय क्षेत्रीय राष्ट्रीय या अंतराष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन हो सकता

है। **शोषणः**— पीड़ित बच्चे को अंतिम गंतव्य में स्थानांतरित करने के बाद तस्कर उनका शोषण बाल श्रम और यौन शोषण भीख मांगने या घेरलू दास बनाने के लिए करते हैं। **आपूर्ति** :— जो तस्करी करते हैं तस्कर अविभिन्न आपूर्ति के कारण गरीबी प्राकृतिक आपदा बेरोजगारी घरेलू हिंसा आदि हैं। **मांग** :— तस्करों द्वारा बाल से लाभ पाने की मांग सबसे आम कारण है पलायन स्वस्थ आश्रम शरीर के अंगों का व्यापार वेश्यालय संगठित अपराध आदि।

बाल तस्करी के प्रभाव अलगावः— तस्करी के शिकार बच्चों को परिवार के माहौल से दूर रखा जाता है, उन्हें उनके माता पिता द्वारा प्यार देखभाल और सुरक्षा का ढाल से काट दिया जाता है उन्हें बहुत खतरनाक परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है बाल तस्करी बाल शोषण का एक बच्चे पर दर्दनाक प्रभाव पड़ता है। **शिक्षाः**— तस्करी के शिकार ज्यादातर बच्चे गरीब और अशिक्षित परिवार से होते हैं जहां ताजा धूप सुलभ भी नहीं होती वह छोटी सीलन वाली जगह पर रह कर अपना जीवन यापन करते हैं, जहां बच्चे अपने परिवार का आय के लिए सहारा देते हैं वह कभी स्कूल नहीं जाते हैं ऐसे बच्चे को अच्छी नौकरी या उच्च मजदूरी का लालच देकर जालसाजी द्वारा फंसाया जाता है और सस्ते श्रम मजदूरी के लिए उन्हें दूसरे ठिकानों पर पहुंचाया जाता है **व्यवहारः**— बाल तस्करी के पीड़ित में प्रतिकूल विभाग के संकेत होते हैं और शारीरिक रूप से अपनी आय को नुकसान और दर्द का कारण बना सकते हैं, मां—बाप यदि उनकी बेटी 10 मिनट में भी देरी से घर पहुंचे तो उनकी जान फलक तक आ जाती है जरा सोचो वे बच्चे जो अनाथ हैं किसी जाल साज की चाल में आकर अपने मां—बाप से दूर हो गये हैं उनका जीवन किस दर्द से गुजर रहा होगा।

वैश्विक परिदृश्य मेंः— बाल तस्करी दुनिया भर में एक समस्या बनकर उभर रही है, यह एक ऐसा अपराध है, जिसमें व्यक्तियों को उनके यौन शोषण के लिए खरीदा बेचा जाता है, 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस घृणित अपराध के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को प्रोत्साहित करने हेतु मानव तस्करी से निपटने के लिए वैश्विक योजनाओं **(The Global Plan of Action Combat Trafficking in Persons)** को अपनाया वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्र अब इस अपराध के प्रति जागरूक हो रहे हैं, और पीड़ितों की पहचान कर रहें हैं, और अधिक से अधिक तस्करों को सजा दे रहे हैं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, इसमें महिलाएं और लड़कियां तस्करी से सर्वाधिक पीड़ित हैं, इनमें से अधिकांश की तस्करी यौन शोषण के लिए की जाती है संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार किसी व्यक्ति को डरा धमकाकर बलपूर्वक या दोष पूर्ण तरीके से कोई कार्य करवाना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने बंधक बनाकर रखने की यह सभी गतिविधि तस्करी की श्रेणी में आती है वर्तमान स्थिति पर मानव तस्करी की वैश्विक रिपोर्ट में एक से 55 देशों से प्राप्त आंकड़े शामिल किए जिसमें मानव तस्करी के पैटर्न का अवलोकन प्रतिक्रिया में उठाए गए। कानूनी कदम एवं व्यक्तियों पीड़ितों और अभियोजन संबंधी देश विदेश में तस्करी के मामलों की जानकारी है मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को मनाया जाता है। मानव तस्करी 79 प्रतिशत यौन शोषण के लिए की जाती है यौन शोषण मुख्य रूप से महिला और लड़कियां होती है, 30 प्रतिशत देशों मे जो कि तस्करों के जेंडर की जानकारी जो प्राप्त हुयी उनमें ज्यादातर महिला तस्करों का अनुपात सबसे अधिक है कुछ क्षेत्रों में महिलाएं ही महिलाओं एवं लड़कियों की तस्करी करती है, का जीवन नरक बन जाता है उनका स्वास्थ्य भोजन शिक्षा आदि का कोइ ध्यान नहीं दिया जाता संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में श्रमिक तस्कर भारतीय श्रम को पर्यटक वीजा पर विदेश में लाते हैं और उन पर उनकी पहचान के दस्तावेजों को अपने पास मजदूरी करने के लिए रख लेते हैं और उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया जाता है अधिकारियों ने आमिर निया पुर्तगाल और जांबिया में भारतीय बंधुओं मजदूरों की पहचान की केन्या में भारतीय महिला यौन तस्करी का शिकार है, तस्कर असम, बिहार, उत्तर प्रदेश कुछ लड़कों को नेपाल में बंधुआ मजदूरी का शिकार बनाते हैं।[3] **बाल तस्करी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर**—विश्व की जटिल समस्याओं व चुनौतियों में से एक मानव तस्करी है जिसका विश्व के विभिन्न समाजों को सामना करना पड़ता है। मादक पदार्थों तथा उनसे मुकाबला करने के लिए कार्यालय और संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से जो रिपोर्ट अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है। यह एक अन्तराष्ट्रीय समस्या है, यह आज की समस्या न होकर सदियों पुरानी विलुप्त प्रायः दास पृथा का आधुनिक रूप है, जो आज अत्यन्त विकराल जटिल रूप में है, जो समाज ओर कानून के समक्ष संगठित अपराध का रूप लेकर चुनौती दे रही है। मानव तस्करी जारी रहने के साथ मानवाधिकारों की रक्षा का दम भरने वाले अमेरिका और यूरोपीय देशों में प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख बच्चे लापता हो जाते हैं, लापता हो जाने वालों में कुछ बच्चे भाग जाते हैं, और कुछ का अपहरण कर लिया जाता है, ओर कुछ बच्चे अकेले पलायन करते हैं। हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी के बाद अमेरिका में सबसे अधिक मुनाफे वाला काम मानव तस्करी है, अमेरिका में आधिकारिक संगठनों की जाँच रिपोर्टों ने भी दर्शा दिया है, कि प्रतिवर्ष अमेरिका में कानूनी उम्र से कम की एक लाख से अधिक लड़कियों का यौन शोषण के लिए व्यापार होता है, यहाँ तक की अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में भी यौन

शोषण के लिए लड़कियां खरीदी और बेची जाती हैं। जिन लोगों की तस्करी की गयी उनमें से अधिकांश की तस्करी रोजगार का झांसा देकर की गयी या वे ऐसे पलायनकार्ता है जो समुद्रों और मरूस्थलों की दुर्गम यात्रा करते हैं,

भारत में 10 साल में मानव तस्करी

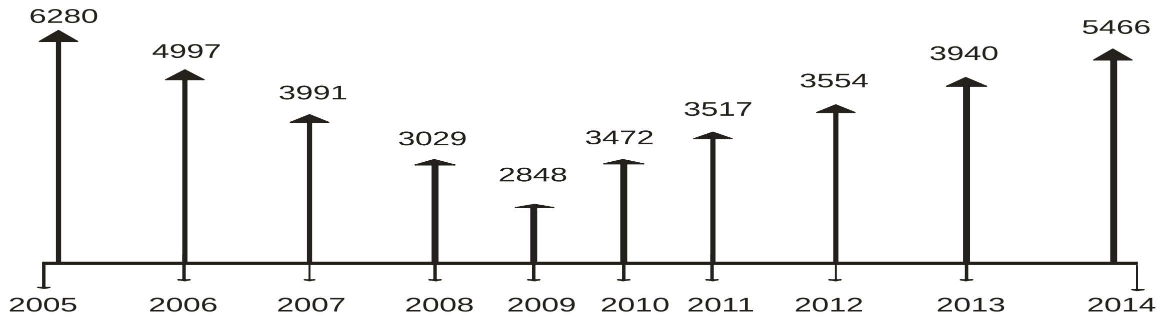

NCRB के ताजा ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2015 में कुल 15,379 पीड़ितों में से 9,034 पीड़ितों (कुल 58 प्रतिशत) की आयु 18 साल से कम थी वहीं साल 2016 में रिहा कराये गए 14,183 पीड़ितों की उम्र 18 साल से कम थी। मानव तस्करी के सबसे अधिक मामले 3,579 (कुल का करीब 44 प्रतिशत) बंगाल में दर्ज किए गए। साल 2015 में असम पहले और बंगाल (1,255 मामलों के साथ) दूसरे स्थान पर था। असम में साल 2016 में मानव तस्करी के 91 मामले (1.12 प्रतिशत) दर्ज किये गए, जो कि साल 2015 के 1,494 मामलों की तुलना में काफी कम थे। सूची में इस बार राजस्थान दूसरे नम्बर पर रहा जहाँ 1422 मामले दर्ज किये गए। इस सूची मं दिल्ली 14वें स्थान पर रहा जहां मानव तस्करी के 66 ममले दर्ज किये गये जो साल 2015 के 87 मामलों की तुलना में कम थे। साल 2016 में, कुल 23,117 पीड़ितों को रिहा कराया गए, जिसके अनुसार पुलिस ने रोजाना करीब 63 लोगों को बचाया। 'एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार बचाए गए लोगां में 22,932 लोग भारतीय नागरिक थे, 38 श्रीलंगकाई और उतने ही नेपाली थे। रिहा कराए गए लोगों में से 33 की पहचान बांग्लादेशी और 73 की थाईलैंड तथा उजबेकिस्तान सहित ,अन्य शहरों के नागरिकों के तौर पर हुई है।

According to NCRB Report Total Case in 2011-2018 के बीच 35983 है जबकि 8 साल मे जो राहत मुआजा मिला है मतलब 35983 मैं से कुल 82 लोगों Compensation मिला IPC SECTION 357-A मै अपराध के पीडितों को मुआवजा देने का प्रावधान है।

दिल्ली.47 झारखण्ड.17 असम.8 पश्चिम बंगाल.3 मेघालय.2 आंध्र प्रदेश.2 कर्नाटक.2 हरियाणा.1 इस प्रकार 82 लोगो को मुआवजा मिला जो सरकारी आकडों का 0.27 प्रतिशत है।

निर्भया फडअंतर्गत जो लोग पीड़ित होते है जैसे के बलात्कार एसिड अटैक बाल तस्करी से बचे लोगो को मुआवजा कंपनसेशन देने की एक राष्ट्रीय योजना है जिसमे अलग–अलग राज्यों से पीडित लोगो के लिए अलग–अलग राशि देने का प्रावधान है 2012 में निर्भया काड गैंगरेप और हत्या के मामले में राष्ट्रीय आपको उसके बाद सरकार ने 1000 करोड़ फड देने का प्रावधान रखा इसका इस्तेमाल व्यक्तियों बच्चों या योन को के खिलाफ यौन हिसा का सामना करने के लिए किया जाएगा।[4]

नाबालिक से बलात्कार : यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ संभोग करता है तो इसे बलात्कार माना जाएगा, चाहे यह उस बच्चे की सहमति से होता हो, या उसकी सहमति के बिना (धारा 375) आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 ने प्रवेशन की परिभाषा को व्यापक बना दिया है।

- 16 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ बलात्कार[5]
- **गुमशुदा बच्चों/व्यक्तियों से संबंध:** दिल्ली उच्च न्यायाल ने अपने एक फैसले में यह रेखांकित किया कि हर वर्श 44,000 बच्चों के खो जाने की सूचना दर्ज होती है जिनमें से केवल 11,000 बच्चों का ही पता चल पाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक्शन रिसर्च (2002–04) में खोने और मानव व्यापार के बीच संबंध दर्शाया गया है– बहुत सारे गुमशुदा बच्चे, वैसे तो खो गए दर्शाए जाते है, मगर असल मे वे मानव–व्यापार के शिकार हुए होते हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में निदेश किया था[34] कि गुमशुदा बच्चों के मामलों में यह मानकर प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए , कि गुमशुदा बच्चा मानव व्यापार का शिकार हुआ है या अगवा किया गया है। यदि चार महीनों के भीतर अगवा

किए गए बच्चे का पता नहीं चलता है तो मामले की जॉच मानव व्यापार निरोधी इकाई (अहतू) को सौंप दी जानी चाहिए। निर्देश में आगे कहा गया कि अहतू को ऐसे मामलों की जॉच में हो रही प्रगति के बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करते रहना चाहिए।[6]

- **बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (POCSO) अधिनियम,** 2012, जो 14 नवंबर 2012 से लागू हुआ है, बच्चों को यौन शोषण और शोषण से बचाने के लिए एक विशेष कानून है। यह विभिन्न प्रकार के यौन शोषण के लिए सटीक परिभाशा प्रदान करता है, जिसमें भेदक और गैर–प्रवेश यौन हमला, यौन उत्पीड़न शामिल है।
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015
- बंधुआ मजदूरी तथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976

इनके अतिरिक्त, बाल विवाह निशेध अधिनियम, 2006, बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 और मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 जैसे कानून क्रमशः विवाह, मजदरूी और मानव अंगों की बिक्री के मामलों में लागू होंगे। सूचना तकनीक, अधिनियम, 2000 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (2015 में यथा संशोधित) भी प्रासंगिक है।

देववासी प्रथा, जो वेश्यावृति के लिए लड़कियों और स्त्रियों के मानव व्यापार से जुड़ा एक और पक्ष है, के उन्मूलन के लिए राज्यों द्वारा बनाए गए कानून है, जैसे, बौम्बे देवदासी (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1934: मद्रास देवदासी (प्रिवेशन आफ डेडीकेशन) एक्ट 1947 : आंध्र प्रदेश प्रोहीबीशन ऑफ डंडीकेशन एक्ट, 1988 , कर्नाटक देवदासी (प्रोहीबीशन आफ डेडीकेशन) एक्ट 1982, और गोवा चिल्ड्रेंस एक्ट, 2003। **The Children Act.1960,.The Child Labour (Prohibition and regulation Act,1986)The Factories Act, 1948.**

मंत्री मेनका गांधी ने 18 जुलाई 2018 को महिला एंव बाल विकास पर मानव तस्करी निवारण, सरंक्षण और पुनर्वास, बिल 2018 को लोकसभा में पेश किया यह बाल तस्करी के शिकार लोगों के बचाव उन्हें छुड़ाने और उनके पुनर्वास का प्रावधान करता है यह बिल 26 जुलाई 2018 को सदन में पारित हुआ।[7]

व्यपहरण एवं अपहरण (Kidnapping & Abduction)	363 IPC
हत्या के लिये व्यपहरण एवं अपहरण (Kidnapping & Abduction in Order to Murder)	364 IPC
फिरौती इत्यादि हेतु व्यपहरण एवं अपहरण (Kidnapping For Ransom)	364A IPC
गुप्त रूप से और गलत तरीके से व्यक्ति को सिमित करने के लिये इरादे से अपहरण करना या व्यक्ति को सिमित करने के लिये इरादे से अपहरण करना या कराना (Kidnapping or abducting with intent secretly and wrongfully to confine person)	365 IPC
विवाह आदि को विवश करने के लिये स्त्री को व्यपहरण एवं अपहरण करना (Kidnapping & Abduction of Women o Comple her for Marriage)	366 IPC
विदेश से लड़की आयात करना (Importation of Girls from Foreign Country)	366 –A IPC
नाबालिक लड़की का उपायन (Procuration of Minor Girls)	366- B IPC
मानव तस्करी (Human Trafficking)	370 & 370A IPC

साहित्य समीक्षा

वासैन एटसल के (2012)[8] के अनुसार जब बालक की मासिक स्थिति ठीक न होने के कारण उनका फायदा उठाकर बच्चों का यौन शोषण किया जाता है, और उन्हें जबरदस्ती यौन शोषण के बाजारों में उतारा जाता है।

ILO (International Labour Organisation (2017) [9] रिर्पोट के अनुसार 4.8 मिलियन व्यक्ति ऐसे हैं, जिनकी तस्कारी हुई और जबरन यौन शोषण कराया गया तथा उनमें से भी 1 मिलियन ऐसे बच्चों की संख्या पायीर गयी यह हमारे समाज के बहुत दैनीय स्थिति है।

फेरल एटसल (2008)[10] ने अपने अध्ययन में पाया जो 70% यौन शोषण में पाऐ गये उनकी उम्र 24 वर्श की आयु वाले बाकी 30% 18 वर्ष के किशोरावस्था में पाये जाने वाले 4.8 मिलियन व्यक्ति तस्करी के शिकार है, जिनमें से 1 मिलियन बालक पाए गऐ।

डॉटरेज (2008) कोटरल (2010)[11] के अनुसार मानव तस्करी वह अपराध जिसका नेशनल, इण्टरनेशनल लेवल पर काफी हद तक बढ़ रहा है, मानव तस्करी देश के अन्दर तथा भारत देश के बाहर जो भारत से जुड़ी हुई सीमाओं से चाइना, बांग्लादेश, यूनाइटेड स्टेड भूटान, असम में तस्करी की जा रही है, इसके रोकथाम के लिए हस्तक्षेप रणनीतियाँ भी बनाई जा रही है।

UNITED NATIONS (2000)[12]**:- आर्ट्रीकल 3 के अनुसार**:– मानव तस्करी के विभिन्न प्रकार जैसेः– मजदूरी करना, शरीर के अंगों को खरीदना बेचना, यौन शोषण कें लिए उकसाना आदि इन सभी कार्यों के लिए तस्करी की जाती है,

फिन्कल एट एल (2015) स्मिथ एट एल (2009)[13] :– के अनुसार मानव तस्करी सारा व्सायिक अपराध होते है, उनमें से प्रमुख हैं, यौन शोषण, शारीरिक शोषण शरीर के अंगों को निकालना और बेचना, छेड़छाड़, बलात्कार हमला होने जैसे कार्य किये जाते है और अमेरिका जैसे देश में तो यौन शोषण घरों में ही कराया जा रहा है जिनमें मुख्यतः बालक ही पाये जाते है।

टुमिलन (2000)[14] :– के अनुसार इन्होंने अनुमान लगाया कि तस्करी की रोकथाम के लिए रणनीति बनाई जाऐं तथा इसको रोकने के लिए हस्तक्षेप और कार्यक्रमों में बदलाव की आवश्यकता है तस्कर हुए लड़कों में बंधुआ मजदूरी के लिए अवैध व्यापार, यौन शोषण भी कराया जाता है, इसलिए व्यापक उपाय होने चाहिए शोधकर्ता का भी व्यापक दृश्टिकोण होना चाहिए, जहाँ पर शोधकर्ता स्वंय जाकर हस्तक्षेप करे और स्वंय जानकारी एकत्र कर वैकल्प तैयार करें।

लड़के और लड़कियों को यह समझना चाहिए जालसाज, धोखेबाज, अन्जान व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। तस्करी में लोगों को झूठे वादों में न आकर फसने से बचना चाहिए, इससे शोधकर्ता में जागरूक होने के साथ–साथ नीति निक्तियों को प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य करने में मदद मिलेगी इससे यह भी समझ जागरूक होगी कि अवैध व्यापार कहाँ से कहाँ तक फैल रहा है।

अध्ययन के उददेश्य (Research Objective) :–

1. बाल तस्करी के पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक कारकों को ज्ञात करना।
2. बाल तस्करी एवं यौन शोषण के सम्बन्धों के अध्ययन की जानकारी प्राप्त करना।
3. बाल तस्करी के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली सूचनाओं व माध्यमों को ज्ञात करना।

शोध परिकल्पनाएं (Research Hypotheses) :–

1. बाल तस्करी की सामाजिक व आर्थिक स्थिति निम्न स्तर की है।
2. बाल तस्करी के कारकों में परिवार का विघटन तथा गरीबी अधिक महत्वपूर्ण है।
3. बाल तस्करी एवं धरोपार्जन में अधिक घनिष्ट सम्बन्ध पाये जाते है।

बाल तस्करीः एक समाजशास्त्री अध्ययन- (आगरा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) अपेक्षाकृत नया है, और विषय से संबधित विभिन्न पक्षों को उजागर करने वाला है। इसलिए प्रस्तुत शोध में अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना का उपयोग अपेक्षित है। क्योकि यह शोध बाल तस्करी के कारण समाज पर पड़ने वाले सामाजिक– आर्थिक कारकों का गहन विश्लेषण करने का प्रयास है।

CASH STUDY

बाल तस्करीः– एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (आगरा जनपद के विशेष सन्दर्भ में)

1. केस (Case) :– जब मैं थाना सिकन्दरा क्षेत्र के एक कॉलोनी उमा कुन्ज, के0के0 नगर में गया जो रिर्पोटेड केस धारा 363,366 का नाबालिक का अपहरण का मामला था मैनें दिनांक 29.03.2022 को वहॉ जाकर उस परिवार से बात की, उन्होनें बताया गॉव का लडका ही जो हमारे घर से 200 मीटर की दूरी पर रहता है। लड़की को ले गया था। इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस की कार्यवाही के बाद वह मिल गई और उन्होने बताया कि हमारी बेटी किसी दबाव के कारण कुछ बोल न सकी आज भी उस लडके के साथ रह रही है, उसकी अब तक शादी नही हुई है। लड़की जिसका नाम X है। वहला फुसला कर आ जाने के कारण उसी के साथ रह रही है। लड़की की मॉ ने बताया पड़ोस के व्यक्ति के पास फोन आया था, उनसे पूछ रही की

हमारे परिवार में सब ठीक है। लड़की के घर वालों को लड़के ने धमकी दे रखी है। अगर तुमने कोई कार्यवाही की तो आपका एक बेटा है वह भी नहीं बचेगा। इसी कारण बस लड़की वालों ने आगे कोई कार्यवाही नहीं की। लड़की जब यह केस हुआ नाबालिग थी आज वह बालिक हो चुकी हैं। अब वह किसी लालच या धोके में देखकर उस लड़की को अपने पास ही रखता है। पता नही आज कहा पर है। आगे घरवालों ने कोई कार्यवाही नहीं की।

2. केस (Case) :– जब मैं आगरा जनपद के गॉव रूनकता में गया मेरी मुलाकात x लड़की जिसकी उम्र 14 साल जो तस्करी का षिकार हुई थी। उसके परिवार वाले को जब मैंने अपने आने का कारण बताया तो मेरी उस लड़की से बातचीत हुई और उसने बताया मुझे दवा सुंघाकर ले जाया गया। लड़की ने बताया जब मैं स्कूल जा रही थी। मुझको अचानक कुछ नषीला पद्वार्थ सुंघाकर उठा ले गये जब मुझको होश आया, तो वहॉ दो व्यक्ति थे। एक व्यक्ति तो देखने में खतरनाक लग रहा था। मेरे शोर मचाने पर उसने धमकी थी और कहॉ तुझे यहॉ बेच दिया जायेगा। मुझे जहॉ रखा गया वह एक बन्द कमरा था। जब मैंने उस लड़की से आगे की जानकारी ली। तो मैंने पूछा तुम्हे कुछ खाने के लिए दिया। तो उसने मना कर दिया। एक दिन बाद पुलिस प्रषासन द्वारा बचाया गया। जब मैं पुलिस को वहॉ पर मिली तो मैं अकेली थी पुलिस द्वारा खोजे जाने से पता चला की रूनकता में जो लड़का रहने आया। वो किराये के मकान में रहता था। लड़का उम्र 22 वर्ष वही लड़का उसको बेचने के इरादे से बरेली ले गया था। उसे वहॉ छोड़कर वापिस वही आ गया। लड़की के गॉवों जहॉ वो रहता था। लड़की के दोस्त के जरिये मालूम पड़ा कि वह लड़का ही लेकर गया है। जब पुलिस वालों ने उस लड़के को पकड़ा और उस के जरिए लड़की के पास जो गायब हुई थी उसके पास पहुच गयें। लड़के से पूछा तेरे साथ जो व्यक्ति था वह कौन था। लड़का नही बता पाया। वो नही जानता था उस आदमी को काफी पूछताछ करने के बाद लड़के ने बताया की उसको बेचने वाला था। लड़का जेल में है। लड़की आज अपने परिवार के साथ रह रही है। और खुष है।

3. केस (Case) :– जब मैं आगरा जनपद के दहतोरा गॉव गया वहॉ मेरी मुलाकात लड़की के पिता और तस्कर हुई पुत्री से हुई, उनसे पूछताछ के दौरान मुझे मालूम पड़ा कि लड़की की संगी साथी ने किसी अंजान व्यक्ति का मो0 नम्बर लेकर उससे बातचीत करायी और फोन पर ही लड़की लड़के के झासे में आ गई। जिस दोस्त ने अपनी दोस्त से बात करायी थी वो लड़की भी सैक्स वर्कर का काम करती है। इस लड़की ने अपने दोस्त के जरिये उस लड़के से मुलाकात की और वह उसको लेकर मथुरा गया और वहॉ वह एक दिन रूका उसके बाद जयपुर 20 दिन रूका, फिर लड़की को लेकर कोई गॉव था वहा पर रूका जहॉ लड़के का घर था उस लड़के को जब पुलिस प्रषासन ने खोज निकाला तो उन दोनो को थाने लाया गया। लड़की की जानकारी के अनुसार मालूम पड़ा लड़की उसी के साथ रहना चाहती है। थाने में लिखापढ़त करने के बाद मॉ–बाप लड़की को अपने घर ले गये। लड़की काफी गरीब घर से थी। उसको झासा दिया गया था कि अभी आप घर जाओं उसके बाद तुम इस लड़के से शादी कर लेना आज तक वह लड़का वापिस नहीं आया। लड़की की दूसरी जगह शादी हो गयी है। आज वह मॉ बाप के साथ घर पर ही रह रही है। जब हमने उस लड़की से पूछा कि आप उस लड़के के साथ जाना चाहोगी उसने कहा हॉ (Yes) लेकिन हमें वों लेने आज तक आया नहीं उसका पता नहीं कहा पर है। लड़की की जहॉ शादी हुई थी वहॉ भी उसे नही रखा जाता है। क्योंकि उन्हे मालूम पड़ गया था कि यह किसी के साथ पहले से ही सम्बन्धों में थी।

4. केस (Case) :– थाना सिकंदरा क्षेत्र के कैलाष मंदिर स्थित एक गॉव में गया। जो रिर्पोटेड केसस धारा 363 नाबालिक के अपहरण का मामला था। मैनें 28.03.2022 को वहॉ जाकर नाबालिक लड़की से बात की जिसका नाम X आठवी क्लास में गेंदा लाल मेहर इण्टर कॉलेज में पढने जाती थी। जो जाति की ब्रहामण है। उसकों एक अंजान व्यक्ति उठा कर ले गया था। लड़की ने बताया मुझे बेहोष कर ले जाया गया था। जब मैं स्कूल जा रही थी तो कोई अंजान व्यक्ति मुझे उठाकर ले गया मैं एक दिन तक बेहोष रही। जब मुझे होष आया तो में आई0एस0बी0टी0 बस स्टेण्ड आगरा पर लैटी हुई थी। जहॉ मेरी जानकारी का कोई नही था मेरी लिए अंजान जगह थी। मैंने किसी अंजान व्यक्ति से फोन करने को कहा फिर मैंने अपने पापा के पास फोन किया। जब मैं अपने पापा के साथ घर आयी, ये सब जानने के बाद पिता ने उससे बहुत सवाल किये। उसने बेहोषी के हालात में किसी को नहीं पहचाना था और न किसी के बारे में बताया मैनें वहा सब देखा, जाना, समझा मुझे ऐसा लगा कि लड़की को उठाकर बेचने के इरादे से ले जाया जा रहा था। जो ले गया था वह उसके रिष्तेदारी के जरिये पता चला कि कुछ दिन पहले वह लड़की वह रिष्तेदारी में गयी थी वही से लड़का पीछे लग गया। वही के एक व्यक्ति ने बताया कि आपकी बेटी गायब हो गयी है। यहॉ से भी वो लड़का गायब है। पुलिस द्वारा समीक्षा और तहकीकात करने के बाद मालूम पड़ा वही का लड़का ले गया था। लेकिन ले जाने में सफल नहीं हो पाया। और सही समय पर पकड़ लिया। आज वह लड़का जेल में है। लड़की अपने घर पर मॉ बाप के साथ रह रही है।

5. **केस** (Case) :– जब मैं थाना सिकंदरा क्षेत्र के षिवाकुंज गली न0–8 में गया जो रिर्पोटेड केसस धारा–363, 366 नाबालिक अपहरण का मामला था। मैंने 29.03.2022 को वहॉ जाकर नाबालिक लड़की से बात की। जिसको एक व्यक्ति उठा ले गया था। लड़की ने बताया बहला फुसलाकर नोएडा ले गया था। और मुझे वहॉ 8 महीने रखा मुझे समझ नहीं कि मैं इसके साथ क्यों रह रही हूॅ फिर कुछ दिन बाद मैं उसके साथ रहने लग गयी क्योंकि उसने मुझसे शादी का वादा किया। जब मै घर वापस आयी तो घर वालों ने मेरे कहने पर उस लड़के से शादी करबा दी। फिर हम साथ रहने लगे उसके 1 साल बाद जब वह लड़के का दूसरी जगह सम्बन्ध किसी ओर लड़की से चल रहा था। जिस लड़की के साथ संबंध था उस लड़की के घर वालों ने रिपोर्ट कर दी। और उस लड़के को पुलिस उठा कर ले गयी। लड़का पहले भी ऐसी वारदातों को 3–4 बार अंजाम दे चुका है। लड़िकयों को धोखें में फसाकर उनका यौन शोषण करता है फिर उनको छोड़ देता है। जिस लड़की से शादी हुई थी वह लड़की उसके झूठे लालच धोखे में आ गई थी। आज मैने उस लड़की से पूछा अब आप क्या करेगी। जेल से आने के बाद उसके साथ रहना पसंद करेगी। लड़की ने साफ इंकार कर दिया। क्योंकि मैं जाने अंजाने में उसके बहकावे में आकर ये गलत कदम उठा लिया। मैं अपने मॉ बाप के साथ ही खुष हूॅ।

आकड़ा संकलन की विधि (Method of Data Collection) :– आगरा में बच्चे लापता 1 जनवरी 2020, 31 दिसम्बर 2020 तक उनकी संख्या 714 रिपोर्ट केसेस धारा 363, 366 में कराये गये थे, पुलिस प्रशासन ने 14 महीने 604 बच्चे बरामद किये, जिनमें लड़कियों की संख्या 471 (78 प्रतिशत) जो 14 से 18 मध्य पायी गयी, इसी प्रकार लड़को की संख्या 132 (22 प्रतिशत) पाये गये। मैनें अपने अध्ययन में बाल तस्कर हुये आगरा जनपद के 42 थानों मे पिछले 1 साल में रिपोर्ट कराये गये धारा 363, 366 में उनकी संख्या 714 थी। पुलिस द्वारा 14 महीनों में 604 बच्चें बरामद किये जा चुके है। मैनें लॉटरी पदति के आधार पर 42 थानों में से 12 थानों का चयन किया जिनमें 200 बच्चों का अध्ययन जनगणना विधि से किया। उनमें भी 200 में से लड़कियो की संख्या 162 जोकि 81 प्रतिशत पायी गयी, और लड़को की संख्या 38 जोकि 19 प्रतिशत पायी गयी है।

200 बाल तस्करों में समान्य जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, बेडिया समुदाय/जनजाति में कितनी तस्करी हुयी, बरामद किये जा चुके थे, उसका आंकलन इस प्रकार है।

(Gnernal)सामान्य जाति संख्या 38		(OBC)पिछडी जाति संख्या 65		(Sc) अनुसूचित जाति संख्या 86		(St)जनजाति समुदाय/जनजाति संख्या 11
मैने अपने अध्ययन में सब जाति धर्म को समाहित करते हुये, जानने का प्रयास किया है, और देखा गया है कि कितने बच्चे किस जाति धर्म समुदाय वर्ग से तस्कर हुये है, इसका विवरण इस प्रकार है।						
ब्रहामण	14	कंठेरे	10	जाटव	31	बेडिया जाति– 11
ठाकुर	18	नाई	11	कंजर	6	
वनिया	6	कुरैसी	10	निसाद	4	
		कश्यप	8	खटिक	2	
		कुमार	6	धनगर	6	
		बनजारा	7	गडरिया/बघेल	7	
		बैरागी	5	वाल्मिक	8	
		अहीर	2	कुशवाह	13	
		कुम्हार	6	काइस्थ	9	
कुल संख्या	**38**		**65**		**86**	**11**

कुल योग– 200

अध्ययन की सीमाएँ (Limitations of the Study) :–

प्रत्येक अनुसंधान कार्य भी कुछ सीमाएँ होती है किसी समस्या से सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्यों को प्राप्त करना एक कठिन कार्य होता है। इसी प्रकार सम्पूर्ण प्रतिदर्शन पर भी अनुसंधान नहीं किया जा सकता है। अतः प्रस्तुत अध्यन की भी कुछ प्रमुख परिसीमाएँ है जो निम्नलिखित है–

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन में आगरा जनपद में बाल तस्करी का चयन किया गया है।
2. शोध अध्ययन में रिर्पोटेड केसिस धारा 363, 366 का अध्ययन किया गया है।
3. शोध अध्ययन में बाल तस्कर हुए बच्चो का चयन क्रमबद्ध न्यायदर्शन के आधार पर किया गया है।
4. शोध अध्ययन में न्यायदर्श के रूप में आगरा के 12 थानों मे से 200 बाल तस्कर हुए बच्चो का चयन किया गया है।
5. प्रस्तुत शोध अध्ययन में स्तरीकृत विधि का प्रयोग किया गया है।
6. इसमें दैव निर्दशन के लॉटरी पद्धति के आधार पर 42 थाना में से 12 थानों को चयन किया जिसमें बाल तस्करी के सम्बधित विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला है।
7. Census Method (जनगणना विधि) – एक सांख्यिकीय जॉच जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक तत्व/इकाई के लिए डेटा एकत्र किया जाता है उसे जनगणना पद्वति कहा जाता है, इस 'पूर्ण गणना' या 100 प्रतिशत गणना या पूर्ण सर्वेक्षण के रूप में भी जाना जाता है। यह तब उपयोगी होता है जब केस गहन अध्ययन आवश्यकता होती है या क्षेत्र सीमित होता है।(10)

अध्ययन हेतु सुझावः–

1. बाल तस्करी और अपराध के बीच सम्बन्ध का सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन।
2. बाल तस्करी और सीनेट को रोकने में कानून की भूमिका का सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक व्यवस्था का योगदान।
3. अन्तर जनपदीय बाल तस्करी का सामाजिक परिप्रेक्ष्य।
4. शार्क देशों में फैलता हुआ बाकरी का नेटवर्क।
5. गरीबी और देहव्यापार का बाल तस्करी के विकास में योगदान भारत के सन्दर्भ में।
6. बाल तस्करी की दिशा और दशा भारत के सन्दर्भ में।
7. इन्टनेट और मानव तस्करी के मध्य सम्बन्ध।
8. अन्तराष्ट्रीय कानून और सन्धि का मानव तस्करी को रोकने में भूमिका।
9. बढ़ती हुई जनसंख्या– मानव तस्करी।
10. सामाजिक रूढिवाधिता और मानव तस्करी के बीच सम्बन्ध।
11. कमजोरियों को संबोधित करना।
12. जनजागरूकता अभियान।
13. बच्चों का संवेदीकरण।
14. परिवार की भूमिका।
15. सामुदायिक पुलिसिंग अभियान।
16. सैक्स टूरिज्म का मुकाबला।
17. सांस्कृति रूप से स्वीकृत प्रथाओं को संबोधित करना।

उपाद्विता उपसंहार
निष्कर्ष

<u>अगर हमें तस्करी जैसी घटनाओं को रोकना है तो हमें कुछ बिंदुओं पर विचार करना होगा।</u>

- शिक्षा के लिए बच्चों को जागरूक करना।
- जहां बच्चे रहते हैं, वहां का वातावरण को मां बाप को ध्यान देना चाहिये, जिससे बच्चों मै सही सोच मा–बाप द्वारा विकसित हो और बच्चों का समय–समय पर मां बाप द्वारा ख्याल रखना चाहिये।

- मां बाप को भी यह समझना होगा कि बच्चे का किस तरफ रूझान है, बच्चा क्या चाह रहा है, बच्चे को क्या जरूरत है, क्या उसको देना चाहिये यह सब बातें मां–बाप को समझना होगा।
- बच्चें मां–बाप से खुलकर अपनी बातें करें और बच्चे भी अपने अंदर की बातें उनसे खुलकर पूछें जिससे बच्चें में डर झिझक निकले और वह किसी के लालच में ना आए जिससे तस्करी जैसी घटनाओं के अंजाम देने से रोका जा सकें।
- ज्यातादर केसों में यह पाया गया कि परिवार वाले बातों को छुपाते है तभी तस्कर जैसे व्यक्त्तियों को और छूट मिल जाती है। बाल तस्करी जैसे अपराधों पर नकेल (रोकना) कसनी है, तो तस्कर हुये उस बच्चे के परिवार को जागरूक होना पड़ेगा बताना होगा कि सच्चाई क्या हैं। जिससें समाज में हो रहे तस्करी जैसी घटनाओं के बारे में सही जानकारी एकत्रित कर उस पर पुलिस प्रशासन सही दिशा में सही कार्यवाही की जा सकें।

  तस्करी के पीछे एक ओर कारण होता है, बच्चों को लालच देकर उनको फसाते है। और यौन शोषण करते है, फिर कुछ दिन उन्हें छोड़ कर भाग जाते हैं। या बेच देते है। फिर कुछ केस ऐसे भी पाये गये, जिसमें शादी का बादे करते है और अपने साथ रखते है, जब तक वह पकड़े नही जाते। तब तक यौन शोषण, अत्याचार करते रहते हैं। यह केस वह होते है, जो बच्चा उनके साझे में और झूठे बादे में फस जाता हैं। बच्चे को समझ नहीं होती। जब तक बच्चा समझ पाता है। कि मेरे साथ गलत हो रहा है, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, फिर उस दलदल से निकलना नामुमकिन हो जाता है। वह वहॉ से चाहकर भी नहीं निकल सकते, क्योकि परिवार की समाज में बदनामी होने के कारण और अपने आप को समाज में नीचा स्तर पर देखने का महसूस करते है।

References

1- www,child trafficking.in

2- https://hihindi-on-child trafficking-in-hindi/.

3- news nation bureau Sanjiv Mathur update 15 February 2021.

4- [The Hindu Monday, February 10, 2020]

5- IPC Section 376(2)(i).

6- Bachpan Bachao Andolan vs. Union of Inda, Writ Petition (C) No. 51 of 2006. Decided on 18-04-2011.

7- https://www.ohchr.org.(Prajwala vs. Union of India 2016 (1) SCALE 298.

8- **Basson, (2012)** Resarch of action sexually exploited minore (SEM) needs and strencsnts www.westcoastcc.org.

9- **ILO (2017) Global Estimates of Moden Slavery:** Forced Labour and Forced Marriage: Retrieved from www.ilo.org Puluications Books wcis 575479/lung-er index.

10- **Farrell A, (2008)** understanding and improving law enforcement response to human trafficking: Find Report http://bdl. Handle.net/2047/10015802.

11- **Dottredge 14 (2008) 'Child Trafficking for sexuly puposes'** ECPAT International Retri www.ecpat.net/Sites/retult/Eval files Eng pdf.

12- **United Nations office on Drugs and Crime (2000)** Protocol to Prevent, Sppress and punish Trafficing in pescsons,women and children www.unodc.org.

13- **Finkalca (2015)** sex Traffic King of the United States. Children in overview and issues for congress Retieved from http://fas.org/SQP crs/misc/R418 78pdf.

14- **Tumlin (2000)** Trafficking in children and women : A Regional overview. ILO.